

अन्तिम डिक्री व मुकदमे इब्तादाई
(आर्डर 21 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालत सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जायल जिला-नागौर,
(कैम्प ग्राम पंचायत बरनेल)
बइजलास रवीन्द्र कुमार, आर.ए.एस.


राजस्व वाद संख्या 226/2021

वादी -

1. भंवरलाल पुत्र कानाराम
2. कैलाशचन्द्र पुत्र कानाराम
जातियान-खाती निवासी-फिरोजपुरा तहसील-जायल
बनाम

प्रतिवादीगण -

1. रामस्वरूप पुत्र कानाराम
2. ज्यानकीदेवी पुत्री कानाराम
3. आचुदेवी पुत्री कानाराम
4. सरजूदेवी पुत्री कानाराम
5. फेफीदेवी पत्नी कानाराम
6. जसकरण गोद पुत्र जेठाराम
जातियान-खाती तहसील-जायल जिला-नागौर।
7. बंशीलाल पुत्र जीवणराम
8. रामकरण पुत्र जीवणराम
9. सत्यनारायण पुत्र जीवणराम
जातियान-खाती तहसील-जायल जिला-नागौर।
10. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जायल।



उपस्थिति :-

1. श्री शिवकुमार पाराशर वादीगण अधिवक्ता वादी
2. श्री अम्बालाल पाराशर प्रतिवादी संख्या 1 से 9 की ओर से।
3. प्रतिवादी संख्या 10 राजपैरोकार उपस्थित

दावा अन्तर्गत धारा 88, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

- : : डिक्री आदेश : : -


यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल तई रुबरू हमारे व हाजरी श्री शिवकुमार पाराशर अधिवक्ता वादी मिनजानिब मुददई प्रतिवादीगण की ओर से अधिवक्ता श्री अम्बालाल पाराशर एवं प्रतिवादी संख्या 10 राज पैरोकार उपस्थित मिनजानिब मुददायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि - मौजा फिरोजपुरा तहसील जायल के खाता संख्या 50 में वर्णित खसरा नं. 32, 56 व 57 की भूमि में दर्ज प्रतिवादी संख्या 2 से 4 व 6 क्रमशः ज्यानकीदेवी, सरजूदेवी, आचुदेवी एवं जसकरण का नाम खातेदारी में से हटाया जाता है तथा इनके स्थान पर उक्त खसरान की भूमि में वादी भंवरलाल, कैलाशचन्द्र तथा प्रतिवादी संख्या 1, 5 रामस्वरूप, फेफीदेवी को 1/2 हिस्से एवं प्रतिवादी संख्या 7 से 9 बंशीलाल, रामकरण एवं सत्यनारायण का 1/2 हिस्सा का खातेदार घोषित किया जाता है।

21/10/2021
कलेक्टर
(रवीन्द्र कुमार) जायल
सहायक कलेक्टर (एवं उपखण्ड अधिकारी
जायल (नागौर))

तीज - मुबलिग - बाबत् - खर्चा इस मुकद्दमे के मय व शरह - सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक - की अदा करें। बवक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख ...24/10/2024..... को जारी की गई।

| मुदायराह | रूपया | पैसे | मुदायराह | रूपया | पैसे |
|-----------------------|-------|------|-----------------------|-------|------|
| स्टाम्प अर्जी दावा | | | स्टाम्प वकालतनामा | | |
| स्टाम्प वकालतनामा | | | स्टाम्प अर्जी | | |
| स्टाम्प वजह सबूत | | | वजह सबूत महनताना वकील | | |
| महनताना वकील | | | खर्चा गवाहान | | |
| फीस कमिष्नर | | | फीस कमिष्नर | | |
| बाबत् इजराज हुक्मनामा | | | बाबत् हुराय हुक्मनामा | | |
| मुतफरिक | | | मुतफरिक | | |
| | | | दर0 तलबाना | | |
| मीजान | | | मीजान | | |

नोट :- इस वर्ष के फार्म पर कुल खर्चा हाजरी हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरे के जरिये दिलाया गया हो, या नही, दर्ज करना चाहिये।



(Handwritten Signature)
 (रवीन्द्र कुमार)
 सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
 जायल (नागौर)